कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला भोपाल

क्रमांक / स्था.3 / प्रा.शि.नि. / स.गा.वा. / 2026 / 5305 भोपाल, दिनांक 04/7/26

/ / आदेश / /

मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम 2018 एवं समय–समय पर संशोधित भर्ती नियम के नियम 5 (4) (क) के अनुसार कर्मचारी चयन मंडल ,मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा प्राथमिक शिक्षक संगीत–गायन वादन पद हेतु आयोजित शिक्षक चयन परीक्षा 2024 के परिणाम के आधार पर जारी चयन सूची के निम्नांकित अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक संगीत–गायन वादन के पद में उनके नाम के समक्ष अंकित विद्यालय में निम्नानुसार पदस्थ किया जाता है:–

SN	ROLL NO	RANK	NAME AND F/H NAME	ADDRESS	CATEGORY	SELECTED CATEGORY	POSTING PLACE	DISTRICT
1	6011250642578	9	SAURAV KUMAR MISHRA F/H NAME- RAMNARESH MISHRA	36 GRAM MADHURI KOTHAR WARD NO 7 GOPAD BANAS SID MADHYA PRADESH 486661	UR	UR/X/O	DISE-23320402032 GHSS STATION AREA(1 to 12)	Bhopal
2	6002250676980	15	MAHESH KUMAR HAJARE F/H NAME- MAHAVIR HAJARE	LIG 50 VISHAL NAGAR NEELBAD BHOPAL BHP MADHYA PRADESH 462044	OBC	OBC/X/O	DISE-23320214707 GHSS CHANDR SHEKAHR AZAD RATIBARH(1 to 12)	Bhopal
3	6002250643249	19	NAVNEET RAGHUVANSHI F/H NAME- RAMBABU RAGHUVANSHI	M5 SANT ASHARAM NAGAR BAGSEVANIYA BHOPAL BHP MADHYA PRADESH 462043	UR	UR/X/O	DISE-23320400117 GHSS AHAMDABAD(1 to 12)	Bhopal
4	6002250633447	53	GEETIKA LOHAT F/H NAME- MUKESH LOHAT	H NO 216 PEMDIPURA BEHIND GALLA MANDI JAHANGIRABAD BHOPAL BHP MADHYA PRADESH 462001	SC	SC/VH/O	DISE-23320301219 PMShri-GHSS GIRLS TULSI NAGAR(1 to 12)	Bhopal
5	6002250715432	75	MADHVI UPADHYAY F/H NAME- MAYANK UPADHYAY	H NO 38 E8 SAHKAR NAGAR TRILANGA HUZUR BHP MADHYA PRADESH 462039	EWS	UR/X/F	DISE-23320212504 PMShri-GHSS PARWALIA SADAK(1 to 12)	Bhopal
6	6003250678820	100	ANURAG NAYAK F/H NAME- RAKESH NAYAK	258 JAWAHAR WARD 06 OPPOSITE JAIN SCHOOL BINA BINA SAG MADHYA PRADESH 470113	EWS	UR/X/O	DISE-23320400743 GHSS PUTLIGHAR(1 to 12)	Bhopal
7	6002250658534	102	DEEPTI TIWARI F/H NAME- UMESH KUMAR TIWARI	BHUGAWALI BINA BINA KHURAI SAG MADHYA PRADESH 470118	EWS	UR/X/F	DISE-23320402629 GHSS LAXMI MANDI(1 to 12)	Bhopal
8	6002250711684	177	MANOJ KUMAR MEHTA F/H NAME- MAHESH KUMAR MEHTA	1 GRAM BARKHEDA DOR POST HINOTYA BODA NARSINGARH RJH MADHYA PRADESH 465685	EWS	UR/X/O	DISE-23320216004 GHS MANGAL PANDEY SUKHI SEVANIA (1 to 10)	Bhopal
9	6003250766540	199	SAGAR GUPTA F/H NAME- RAKESH GUPTA	00 WARD NO 11 HAT BAZAR GRAM KHARON LIDHORA TKG MADHYA PRADESH 472331	EWS	EWS/X/O	DISE-23320205706 GHSS ENNTKHEDI(9 to 12)	Bhopal
10	6005250628260	394	MANOJ DEHARIYA F/H NAME- RAM KUMAR	VILL GANGAI POST GANGAI LAKHNADON LAKHNADON SEO MADHYA PRADESH 480886	SC	SC/X/O	DISE-23320211603 GHSS PADARIA KACHHI(1 to 12)	Bhopal

2/ उपरोक्त नियुक्ति वेतनमान पी.बी.–2 (छटवां वेतनमान 5200–20200 +2400 ग्रेड पे) का मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम–2017 के अंतर्गत मैट्रिक्स में लेवल–6 में तत्स्थानी वेतनमान 25300–80500 के न्यूनतम वेतन रुपये 25300 /– + अन्य भत्ते जो शासन द्वारा समय–समय पर देय हैं, के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक–सी–3–13 / 2019 / 3 / एक दिनांक 12.12.2019 के बिंदु क्र. (ब) के अनुक्रम में राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018 के संशोधित नियम 13(राजपत्र दिनांक

24 दिसंबर 2019) अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि (3 वर्ष) सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उक्त वेतनमान में न्यूनतम वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

3/ यह नियुक्ति अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा पर की जाती है। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने पर राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के संशोधित नियम 13 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी। परिवीक्षा अवधि में स्थानांतरण से संबंधित किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

4/ संबंधित चयनित अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5/एक/05/नि/चार दिनांक 02.04.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 के पश्चात मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर नियुक्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–9/3/03/नियम/चार दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी।

5/ संबंधित अभ्यर्थी को दिनांक 7 जुलाई 2026 से 15 जुलाई 2026 के मध्य पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देनी होगी। प्राथमिक शिक्षक पद पर उपस्थिति के समय संबंधित अभ्यर्थी को निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगें। समस्त अभ्यर्थी आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूल प्रति एवं उसकी 3 स्वप्रमाणित प्रतियों के सेट साथ में लायेंगें। अभिलेखों का सत्यापन मूल दस्तावेज से जिला शिक्षा अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष कराएंगें। दस्तावेजो की सूची निम्नानुसार हैः–

I. नियुक्ति आदेश
II. पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ई–मेल एड्रेस
III. जाति प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर से जारी किया हुआ नवीनतम अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र)
IV. आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग (E.W.S.) के अभ्यर्थियों लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र
V. मूल निवासी प्रमाण पत्र
VI. स्थायी निःशक्तता/दिव्यांगता का प्रमाण पत्र–न्यूनतम 40 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता का मेडिकल बोर्ड का वैध प्रमाणपत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति दिव्यांग श्रेणी में हुई है)
VII. अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाणपत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाणपत्र के आधार पर हुई है)
VIII. शासकीय सेवक की स्थिति में विभागीय अनुमति (NOC) अथवा विभागीय अनुमति न होने की स्थिति में संबंधित विभाग को प्रस्तुत सेवा से त्यागपत्र की पावती प्रति
IX. अभ्यर्थी के शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता संबंधी दस्तावेज।
X. भूतपूर्व सैनिक की दशा में वैध प्रमाणपत्र।
XI. बोनस प्राप्त करने की स्थिति में NCC का Cप्रमाणपत्र
XII. कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी पात्रता परीक्षा एवं चयन परीक्षा की अंकसूची
XIII. अन्य पिछडा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए क्रीमीलेयर में नही आने संबंधी घोषणा (परिशिष्ट– 1)
XIV. संलग्न शपथ पत्र नोटराइज्ड (परिशिष्ट– 2)

6/ बिन्दु 5 में उल्लेखित दस्तावेजो के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा परीक्षण उपरांत पात्र पाये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जायेगी। नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाणपत्र (पुलिस वेरीफिकेशन) भी प्रस्तुत करना होगा।

7/ यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं इसे किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस दिए जाने के पहले या बाद में यदि अभ्यर्थी अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति की तिथि से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, ऐसी स्थिति में

अभ्यर्थी को एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी, उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा।

8/ परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदंडों के अनुसार किया जावेगा।

9/ परिवीक्षा अवधि के संबंध में भर्ती नियम 2018 के नियम 13 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। अनाधिकृत अनुपस्थिति की स्थिति मे सेवाये समाप्त की जा सकेगी।

विशेष टीपः— यदि चरित्र /जाति/निःशक्तता/शैक्षणिक योग्यता/शपथपत्र इत्यादि दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट में गलत या असत्य पाये जाते हैं अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते हैं तो संबंधित की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

(अभिनव आर्य)
जिला शिक्षा अधिकारी
जिला भोपाल

पृ. क्रमांक/स्था.3/प्रा.शि.नि./गा.वा.2026/5306 भोपाल, दिनांक 04/7/26

प्रतिलिपिः—

1. विशेष सहायक,माननीय स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री मध्यप्रदेश शासन भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
3. सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
4. आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश।
5. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र ।
6. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर ।
7. संभागायुक्त भोपाल संभाग, भोपाल, मध्यप्रदेश ।
8. संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग, भोपाल, मध्यप्रदेश।
9. कलेक्टर जिला भोपाल,मध्यप्रदेश ।
10. विकासखंड शिक्षा अधिकारी, फंदा जिला भोपाल, म.प्र. की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले में पदांकित संबंधित सभी अभ्यर्थियों की उपस्थिति की व्यवस्था सुनिश्चित करें एवं पदांकित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का मूल अभिलेखों से मिलान कर संतुष्ट होने पर ही पदांकित संस्था में पदभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। दस्तावेज सत्यापन अथवा अभ्यर्थी की योग्यता/पात्रता के संबंध में कोई विसंगति पाए जाने पर संचालनालय को तत्काल सूचित कर मार्गदर्शन प्राप्त करें।
11. संबंधित कोषालय अधिकारी, म.प्र ।
12. चयनित अभ्यर्थियों को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति आदेश में विहित शर्तो से सहमत होने की दशा में पदांकित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (म.प्र.) को दिनांक 7 जुलाई 2026 से 15 जुलाई 2026 के मध्य अपनी उपस्थिति देवें।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला भोपाल